न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 229/2019
GCMS NO. : 2019/00281

–: वादी :– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

1. लालाराम पुत्र देवाराम जाति– जाट, निवासी– बांझाकुड़ी, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज०।

1. तहसीलदार जैतारण, तहसील जैतारण, जिला– पाली (राज)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.06/12/2019

उपस्थितः– 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता वादी।
2. सरकार पैरोकार राज, तहसीलदार।

–:: निर्णय ::–

दिनॉकः– 28/06/2022

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा बांझाकुडी पटवार हल्का बांझाकुडी तहसील जैतारण जिला पाली राज० मे वादी एवं अन्य हिस्सेदारो की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 730 रकबा 22–16 बीघा की आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी मे वादी माफिक हिस्सेनुसार रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है। उपरोक्त वर्णित आराजी मे वादी का नाम तत्कालीन आर आई पटवारी ने म्युटेशन संख्या 484 पारित करते समय किशनाराम गोद पुत्र अन्नाराम इन्द्राज कर दिया जो एक रोंग एन्ट्री है क्योकि किशनाराम जिसका सही नाम लालाराम है वह कभी अन्नाराम जी के गोद गया ही नहीं, न ही ऐसा गोदनामा तकमील हुआ था मात्र अन्नाराम जी जो कि लालाराम के बडे पिता होने की वजह से तत्कालीन आर पटवारी ने अपनी मनमर्जी से गोदपुत्र बताकर उक्त म्युटेशन पारित कर दिया जबकि वादग्रस्त आराजी लालाराम के साथ साथ इनके भाई विशनाराम व मांगीलाल को भी बराबर बराबर हिस्सो मे प्राप्त हुई। यदि लालाराम अन्नाराम जी के गोद जाता तो उनकी सम्पूर्ण सम्पति उनको अकेलो को प्राप्त होती जबकि ऐसा नही है। वादी का सही नाम लालाराम पुत्र देवाराम है और जो म्युटेशन गोद मानकर के पारित किया गया वह म्युटेशन वादी के हितों के विरूद्ध बेअसर व शून्य है, सभी सरकारी दस्तावेजात मे वादी का सही नाम लालाराम पुत्र देवाराम है और जो वादी को पिता से जो सम्पति प्राप्त हुई उसमे भी लालाराम पुत्र देवाराम का अंकन है इस[illegible] [illegible]ग्रस्त सम्पति मे वादी के नाम किशनाराम गोद पुत्र अन्ना इन्द्रा[illegible] है। इस त्रुटि को दुरूस्त करवाने बाबत् यह वादपत्र श्रीमान् के समक्ष [illegible] है। वादपत्र मे [illegible]त वादग्रस्त आराजी जिसमे वादी का 1/3 हिस्सा है उक्त आराजी में जो तत्कालीन आर आई पटवारी ने लालाराम पुत्र देवाराम की जगह किशनाराम गोद पुत्र अन्नाराम इन्द्राज किया उक्त इन्द्राज को दुरूस्त किया जावे और सही नाम लालाराम पुत्र देवाराम की

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:27:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

घोषणा की जावे। बिनाय वाद दिनांक 26/09/2019 को वादी द्वारा राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त करने पर उन्हें जानकारी हुई कि उनका नाम म्युटेशन संख्या 484 के जरिये गलत इन्द्राज कर दिया और गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाने का प्रार्थनापत्र प्रतिवादी को पेश किया तो प्रतिवादी ने इन्कार करने पर बमुकाम बांझाकुडी तहसील जैतारण मे पेदा हुआ जो श्रीमान् के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार मे होने से यह वादपत्र श्रीमान् के समक्ष पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस् वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 तहसीलदार जैतारण की ओर से जवाब पेश किया गया जो सा.मि. है। प्रतिवादी संख्या 01 तहसीलदार जैतारण ने अपने जवाबदावा में कथन किया कि पैरा संख्या 1 राजस्व रेकर्ड से संबंधित है जो सही है। नामान्तरण संख्या 484 दिनांक 13.12.1978 को अनाराम पुत्र रामा जाट के फौत होने से किशनाराम गोद पुत्र अनाराम जाट के नाम दर्ज किया गया जो सही है। वादी स्वयं साबित करे कि लालाराम पुत्र देवाराम जाट एवं किशनाराम पुत्र अन्नाराम जाट एक ही व्यक्ति है। नामान्तरण अनुसार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में किशनाराम पुत्र अनाराम जाट सही दर्ज है।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील प्रार्थी पर गौर कर मनन किया गया। प्रकरण का बिन्दूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है :-

1. वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम बांझाकुड़ी तहसील जैतारण में स्थित वादग्रस्त आराजी 730 रकबा 22-16 बीघा अन्नाराम पुत्र रामा जाति जाट साकिन देह के नाम खातेदारी दर्ज थी। खातेदार अन्नाराम वादी के बड़े पिता है तथा अन्नाराम लाऔलाद फौत हो चुके है। तत्कालिन आर आई पटवारी ने नामान्तरकरण संख्या 484 पारित करते समय किशनाराम गोदपुत्र अन्नाराम दर्ज कर दिया जो कि एक रोन्ग एन्ट्री हैं क्योकि किशनाराम जिसका सही नाम लालाराम है जो वादी है तथा वह कभी अन्नाराम जी के गोद गया ही नहीं था तथा न ही ऐसा कोई गोदनामा तकमील हुआ। अन्नाराम जी वादी के बड़े पिता होने के कारण पटवारी ने मनमर्जी से गोदपुत्र बता कर नामान्तरण दर्ज कर दिया तथा साथ ही इनके भाई विशनाराम एवं मांगीलाल को भी बराबर बराबर हिस्सा दे दिया। यदि लालाराम अन्नाराम जी के गोद जाता तो सम्पूर्ण सम्पति लालाराम को ही प्राप्त होती। अतः वादग्रस्त आराजी में दर्ज वादी का गलत नाम किशनाराम गोद अन्नाराम को हटाकर वादी का सही एवं वास्तविक नाम लालाराम पुत्र देवाराम इन्द्राज कर खातेदार घोषित किया जावे तथा भू अभिलेख को दुरूस्त किया जावे।

2. तहसीलदार जैतारण द्वारा जवाबदावा में कथन किया है कि खातेदार अन्नाराम फौत होने पर नामान्तरण संख्या 484 नियमानुसार सही दर्ज किया गया है। अतः भू अभिलेख में कोई त्रुटि नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:27:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

2. वादी द्वारा वादपत्र के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य प्रदर्श–1 ग्राम बांझाकुड़ी की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 में खसरा संख्या 730 में किशनाराम गोद अन्नाराम हि. 1/3, मांगीलाल पुत्र देवाराम 1/2, विशनाराम पुत्र देवाराम 1/3 कौम जाट सा0 देह खातेदार दर्ज है। प्रदर्श–2 व प्रदर्श–3 ग्राम बांझाकुड़ी की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 खसरा संख्या 793 व 736 में लालाराम, मांगीलाल, विशनाराम पि0 देवाराम कौम– जाट सा0देह खातेदार दर्ज है। प्रदर्श–4 ग्राम बांझाकुड़ी की नामान्तरण पंजिका के नामान्तरण संख्या 484 के अनुसार खातेदार अन्ना पुत्र रामा फौत होने से किशनाराम गोद अन्नाराम जाट दर्ज किया गया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र लालाराम पुत्र देवाराम निवासी जाटों का बास बांझाकुड़ी के नाम जारी हैं। साथ ही सरपंच ग्राम बांझाकुड़ी दिनांक 01.05.2019 को जारी प्रमाण पत्र के अनुसार लालाराम पुत्र देवाराम जाति जाट निवासी बांजाकुड़ी का सही नाम लालाराम पुत्र देवाराम है लेकिन गलती से जमाबन्दी में किशनाराम गोदपुत्र अन्नाराम दर्ज हो रखा है जबकि लालाराम जी कभी किसी के गोद नहीं गये तथा लालाराम एवं किशनाराम दोनों एक ही व्यक्ति है। वादी द्वारा साक्ष्य वादी में प्रस्तुत स्वयं के साक्ष्य शपथ पत्र में वादपत्र का समर्थन करते हुये कथन किया है कि ग्राम बांझाकुडी के खसरा संख्या 730 की जमाबन्दी में दर्ज किशनाराम गोद अन्नाराम गलत एन्ट्री है। सही नाम लालाराम पुत्र देवाराम है तथा अन्नाराम जी ने कभी किसी को गोद नहीं लिया था। साक्ष्य वादी में वादी के भाई मांगीलाल पुत्र देवाराम का साक्ष्य शपथपत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें मांगीलाल पुत्र देवाराम द्वारा वादी के कथनों एवं वादपत्र का समर्थन किया है।

3. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम बांझाकुड़ी के खसरा संख्या 730 रकबा 22–16 बीघा के खातेदार अन्ना पुत्र रामा जाति जाट के लाऔलाद फौत होने पर बिना किसी दस्तावेजी जांच किये एवं बिना किसी आधार के किशनाराम गोद अन्नाराम दर्ज कर दिया गया। जबकि कोई गोदनामा या अन्य साक्ष्य रेकर्ड पर उपलब्ध नहीं है। न ही किशनाराम नाम के व्यक्ति का कोई अस्तित्व है वस्तुतः किशनाराम तथा लालाराम एक ही व्यक्ति है तथा खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम किशनाराम गोदपुत्र अन्नाराम न होकर लालाराम पुत्र देवाराम है। प्रत्येक खातेदार का यह प्राथमिक अधिकार होता है कि उससे सम्बन्धित भू–अभिलेख की समस्त प्रविष्टियां त्रुटि रहित एवं शुद्ध हो। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:27:20 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद–वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा बांझाकुड़ी पटवार हल्का बांझाकुड़ी भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण जिला–पाली

ुज में खसरा नम्बर 730 रकबा 22-16 बीघा में बतौर खातेदार दर्ज वादी लालाराम पुत्र देवाराम का त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध नाम की प्रविष्टि ***"किशनाराम गोदपुत्र अन्नाराम"*** को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम ***"लालाराम पुत्र देवाराम"*** दर्ज करते हुये इनके हिस्से तक वादी लालाराम पुत्र देवाराम को खातेदार घोषित किया जाता है। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक **28/06/2022** को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:27:20 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– **उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण**

बईजलास :– **डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0**

–: वादीगणः–	बनाम	–: प्रतिवादीगण :–
लालाराम पुत्र देवाराम जाति– जाट, निवासी– बांझाकुडी, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।		1. तहसीलदार जैतारण जिला– पाली (राज)

राजस्व **वाद** बाबत् **घोषणा** एवं दुरूस्ती
अन्तर्गत **धारा 88 राजस्थान काश्तकारी**
अधिनियम, 1955 **मु0न0 :रा0वा0 स0: 229/2019**

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व तहसीलदार जैतारण, सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद–वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा बांझाकुड़ी पटवार हल्का बांझाकुड़ी भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली राज में खसरा नम्बर 730 रकबा 22–16 बीघा में बतौर खातेदार दर्ज वादी लालाराम पुत्र द्रेवाराम का त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध नाम की प्रविष्टि ***"किशनाराम गोदपुत्र अन्नाराम"*** को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम ***"लालाराम पुत्र देवाराम"*** दर्ज करते हुये इनके हिस्से तक वादी लालाराम पुत्र देवाराम को खातेदार घोषित किया जाता है। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–. .....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **28/06/2022** को जारी किया गया।

माफिक

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
जैतारण, जिला–पाली

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	03–00	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	01–00	स्टाम्प वजह सबूत	
स्टाम्प वजह सबूत		महनताना वकील	/
महनताना वकील	/	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	02–00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	/	मुत्फरिक	
मिजानः–	06–00	मिजानः–	—Nil–

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:27:20 IST
Reason: SelfAttested

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

डिक्री बमुकदमें हुक्मदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

बइजलास अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण
पीठासीन अधिकारी :- डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

-: वादीगण:- बनाम -: प्रतिवादीगण :-

लालाराम पुत्र देवाराम
जाति- जाट, निवासी- बांझाकुड़ी,
तहसील- जैतारण, जिला- पाली
(राज.)।

1. तहसीलदार जैतारण जिला- पाली
(राज)

मुकदमा वाद बाबत घोषणा एवं दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 229/2019

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु ....-........ व हाजरी श्री राजस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व तहसीलदार जैतारण, सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद-वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। तदनुसार आराजी वाक्या मौजा बांझाकुड़ी पटवार हल्का बांझाकुड़ी भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली राज में खसरा नम्बर 730 रकबा 22-16 बीघा में बतौर खातेदार दर्ज वादी लालाराम पुत्र देवाराम का त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध नाम की प्रविष्टि ***"किशनाराम गोदपुत्र अन्नाराम"*** को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम ***"लालाराम पुत्र देवाराम"*** दर्ज करते हुये इनके हिस्से तक वादी लालाराम पुत्र देवाराम को खातेदार घोषित किया जाता है। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेंगी। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ्तर हो।

मौजा ....-....मुवलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शरह ....-. ...फीसद सूद सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 28/06/2022 को जारी किया गया।

मासिफ

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

मुद्दई	रुपये पैसे	मुद्दायलाह	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	03-00	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	01-00	[illegible]	
स्टाम्प पेश सबूत		मेहनताना वकील	
मेहनताना वकील		खर्च गवाहान	
खर्च गवाहान		फीस कमीशन	
फीस कमीशन	02-00	बाबत इजराय हुक्मनामा	
बाबत इजराय हुक्मनामा		मुतफर्रिक	
मीजान-	06-00	मीजान:-	—Nil—

नोट:- उस खर्चे के नाम पर कुल खर्चा वह जो फरीकेन को बाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया ... नहीं ... किया जावे

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:27:20 IST
Reason: SelfAttested